प्रेस विज्ञप्ति
18.09.2026

दिल्ली की विशेष अदालत ने आईआरसीटीसी होटेल्स धन-शोधन मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव व अन्य के विरुद्ध आरोप तय किए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत तत्कालीन रेल मंत्री, भारत सरकार, श्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पीसी गुप्ता व अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच शुरू की।

जाँच से पता चला कि रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग किया गया जिसमें पुरी एवं राँची स्थित रेलवे होटलों के संचालन संबंधी अनुबंध मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए तथा इसके बदले में, श्री लालू प्रसाद यादव के निकट सहयोगी श्री प्रेम चंद गुप्ता के परिवार द्वारा नियंत्रित कंपनी मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में दो एकड़ भूमि का अंतरण उसके वास्तविक मूल्य से कम दरों पर किया जाना शामिल है। तदुपरांत, उक्त भूमि और कंपनी का नियंत्रण शेयर खरीद के माध्यम से नाममात्र कीमत पर श्रीमती राबड़ी देवी और श्री तेजस्वी यादव को हस्तांतरित कर दिया गया, जिससे प्रभावी रूप से भूमि का स्वामित्व यादव परिवार के पास आ गया। अभियोजन शिकायत राउज एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट), सीबीआई (एमएलए/एमपी) मामले के समक्ष दिनांक को 24.08.2018 दायर की गई।

जांच के दौरान ईडी ने पीएमएलए की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 44,75,00,000 रुपये कीमत की संपत्तियों को कुर्क किया है जिसकी पुष्टि न्याय-निर्णयन प्राधिकारी द्वारा की गई है।

उक्त अदालत ने श्रीमती राबड़ी देवी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, श्री लालू प्रसाद यादव व उक्त मामले से जुड़े अन्य 6 आरोपितों के विरुद्ध पीएमएलए की धारा 4 सह पठित धारा 3 के तहत आरोप तय करने का निदेश दिया।